


<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.03/2023</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम को इस हुक्म कीतामिल जारी हुए</p>
<p>16.02.2023</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी खेताराम माली पुत्र श्री पूनमा माली, जाति-माली, निवासी- हनुमान गली, रामपुरा, तहसील व जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अर्बुदा सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड, गोयली, तहसील व जिला- सिरौही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 18.12.2021 को फर्म अर्बुदा सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड, गोयली, तहसील व जिला- सिरौही में प्रतिवादी खेताराम माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Special ker Pickle (Khatri ji brand) का नमूना संख्या S-1560 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./923/Act/2021/1007 दिनांक 27.12.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 14.2.2023 को प्रतिवादी खेताराम माली ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रतिवादी को दिनांक 14.2.2023 को ही सुना गया। जिसने अनुरोध किया कि छोटा व्यापारी है एवं उसने उक्त केर अचार खत्री जी ब्राण्ड को दूसरी फर्म से क्रय किया था जिसका उसके पास बिल नहीं है। उसने उक्त केर अचार में कोई मिलावट नहीं की है जिस स्थिति में क्रय किया था उसी स्थिति में विक्रय किया गया है। यह उसका प्रथम अपराध है, इसलिये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) दिनांक 18.12.2021 को समय 2.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म अर्बुदा सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड, गोयली, तहसील व जिला-सिरौही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से खेताराम माली पुत्र श्री पूनमा माली, जाति- माली, निवासी- हनुमान गली, रामपुरा, तहसील व जिला- सिरौही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ Special ker Pickle (Khatri ji brand) बेचता है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ Special ker Pickle (Khatri ji brand) के अमानक होने का शक होने</p> <p>.....लगातार</p>	



वति. जि.सा. ब.बि.सु.के
सिरौही-307001.

<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.03/2023</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम कीतामिल मे जारी हुए</p>
	<p>पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री रमेश पुत्र श्री जैताराम माली, निवासी- बस स्टेण्ड, गोयली, तहसील व जिला- सिरौही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता विक्रम माली को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Special ker Pickle (Khatri ji brand) के 6 पैकड जार (प्रत्येक 500 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ Special ker Pickle (Khatri ji brand) के 4 पैकड जार (प्रत्येक 500 ग्राम.) वास्ते नमूना जांच क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 600/- (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) प्रतिवादी खेताराम माली को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) के कोड एवं क्रमांक S-1560, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Special ker Pickle (Khatri ji brand) का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये और खरीदशुदा प्रत्येक नमूना जार पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1560 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दिनांक 20.10.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवंलगातार</p>	



d
जिला मजिस्ट्रेट
सिरौही-307001

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.03/2023	नम्बर व तारिख अहकार, जो इस हुकम के तामिल में जारी हुए
	<p>स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को दिनांक 18.12.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा फर्म अर्बुदा सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड, गोयली, तहसील व जिला- सिरौही में प्रतिवादी खेताराम माली से खाद्य पदार्थ Special ker Pickle (Khatri ji brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Special ker Pickle (Khatri ji brand) के नमूना संख्या S-1560 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./923/Act/2021/1007 दिनांक 27.12.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ Special ker Pickle (Khatri ji brand) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी खेताराम माली ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ Special ker Pickle (Khatri ji brand) के क्रय का बिल प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई बिल प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी विक्रम माली ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Special ker Pickle (Khatri ji brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Special ker Pickle (Khatri ji brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी श्री खेताराम माली पुत्र श्री पूनमा माली, जाति- माली, निवासी- हनुमान गली, रामपुरा, तहसील व जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अर्बुदा सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड, गोयली, तहसील व जिला- सिरौही पर राशि रुपये 3,000/- (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी खेताराम माली को आदेशित किया जाता है कि उस पर आरोपित शास्ति (जुर्माना) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 22.3.2023 को पेश हो।</p>	



(के.आर.खौड़)

जिला मजिस्ट्रेट

सिरौही-307001.